स व्यक्त की। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी का अवलोकन किया गया। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा लक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंषिकतः ताईद होती है। तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। तहसीलदार जायल को परफोर्मा पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। वादी द्वारा मौजा शिवनगर के खसरा नम्बर 1162/277 रकबा 3.2739 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 273 रकबा 4.5325 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 411 रकबा 2.3472 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 411/885 रकबा 0.1214 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1161/277 रकबा 0.1335 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता का बंट चाहा गया है। उक्त खसरान कि खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है अतः उक्त खसरान में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथा सहखातेदार कृषक घोषित किया जाकर वाद पत्र को डिक्रि किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 3 सन्तोष के नाम उक्त भूमि में से कोई भूमि नहीं रखी गई है एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किय गया है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार जायल के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— :: आदेश ::—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी प्रेमराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा शिवनगर के खसरा नम्बर 411 रकबा 2.3472 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 1.1736 हैक्टेयर पूर्वी तरफ का माफिक नजरी नक्शानुसार तथा खसरा नम्बर 1162/277 रकबा 3.2739 हैक्टेयर में से दक्षिणी पश्चिमि रकबा 1.1736 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार एवं खसरा नम्बर 273 रकबा 4.5325 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 2.2662 हैक्टेयर दक्षिणी तरफ माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 रकमकुंवार के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा शिवनगर का खसरा नम्बर 411/885 रकबा 0.1214 हैक्टेयर सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 1162/277 रकबा 3.2739 हैक्टेयर में से रकबा 0.9267 हैक्टेयर उत्तरी हिस्सा माफिक नजरी नक्शानुसार तथा खसरा नम्बर 1161/227 रकबा 0.1335 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 धर्माराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा शिवनगर के खसरा नम्बर 411 रकबा 2.3472 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 1.1736 हैक्टेयर पश्चिमी तरफ का माफिक नजरी नक्शानुसार तथा खसरा नम्बर 1162/277 रकबा 3.2739 हैक्टेयर में से दक्षिणी पूर्वी रकबा 1.1736 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार एवं खसरा नम्बर 273 रकबा 4.5325 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 2.2662 हैक्टेयर उत्तरी तरफ माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 सन्तोष के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी द्वारा अपना हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
5. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्रि ओदश का भाग रहेगा।
6. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरों पर रहन यथावत रहेाग। बैंक सूचित हो।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

निर्णय आज दिनांक 11.11.24 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

Scanned with CamScanner